प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० उर्दू अकादमी,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ |

भाषा (उर्दू) अनुभाग –1 लखनऊ:दिनांक: 19 फरवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अधीन उर्दू आई०ए०एस० स्टडी सेंटर के संचालनार्थ द्वितीय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत रूपए 50.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति |

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं / राज्य स्तरीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्राविधानित बजट रु० 200.00 लाख (रु० दो करोड़ मात्र) की धनराशि तीन किस्तों में अवमुक्त किये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के रूप में आवंटित रूपए 50.00 लाख (रूपए पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम व शर्तों / प्रतिबंधों तथा दिशा- निर्देशों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं / राज्य स्तरीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाये आवश्यकतानुसार आहरित करके सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जाएगी और कोषागार में प्रस्तुत किये गए बिल पर आहरण एवं वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा | उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित करके बैंक / पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जायेगा |

2- उक्त धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/ योजनाओं पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों / कार्यक्रमों पर व्यय न किया जाए तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए |

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खंड-5, भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिए गए हैं | इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में उल्लिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए | उक्त के अतिरिक्त स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये |

4- प्रश्नगत स्वीकृति सचिव, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा तृतीय/अंतिम किस्त की व्यय सम्बन्धी उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है | यदि व्यय के सम्बन्ध में कोई भ्रामक सूचना पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बंधित संस्था का होगा |

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु० 50,00,000 (रु० पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या 039 लेखा शीर्षक 2202808000300 उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं / राज्य स्तरीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को अनुदान मानक मद- 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा |

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- ई-7-286/दस-2024-25, दिनांक- 18.02.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं |

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 2/2025/28/2025-009-21-9002(001)/1/2023-(-1)-9- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज |
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ० प्र०, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उ० प्र० उर्दू अकादमी के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें |
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ |
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, (भाषा लेखा प्रकोष्ठ), भाषा विभाग, उ० प्र०शासन |
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० हिंदी संस्थान, लखनऊ |
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 |
8- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4 |
9- नोडल अधिकारी (बजट अलॉटमेंट), भाषा विभाग, उ० प्र० शासन (श्री रत्नदीप दीक्षित)|
10- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in